P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-IV*December-2014
E: ISSN NO.: 2349-980X

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं

एम.एल.सोनी
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बीना, सागर (म.प्र.)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अध्ययन किया गया है। किसी भी देश व प्रदेश का विकास गांव की उन्नति के बिना संभव नहीं है। महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग अपनी अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत् है। यद्यपि मध्य प्रदेश में संचालित योजनाएं अपने लक्ष्य को हासिल करने में कुछ हद तक सफल हुई हैं, लेकिन अभी भी गरीब एवं कमजोर महिलाओं व बच्चों की बेहतरी के लिए सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द : आयुष्मति , संजीवनी , मातृत्व , सबला।

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के विकास में महिलाओं व बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलायें यदि शिक्षित, स्वस्थ एवं समृद्ध होगी तभी देश, प्रदेश व समाज विकसित होगा। बच्चों को समय पर पोषण आहार, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त होगीं तभी भारत एक स्वस्थ एवं समृद्ध देश बन सकता है। म.प्र. शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास हेतु अनेक योजनाएं संचालित हैं। इनके विधिवत क्रियान्वयन से ही प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है।

महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं

आयुष्मति योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1991 से यह योजना शुरू की गई।

बालिका समृद्धि योजना

इस योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 1997 या उसके पश्चात् गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार में जन्मी प्रथम दो बालिकाओं की माता को प्रसव पश्चात् 500 रूपये की सहायता राशि दी जाती है।

पोषण आहार की व्यवस्था

मध्यप्रदेश में संचालित 367 बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कुल 69238 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था संचालित है।

संस्थाओं का चयन एवं सामग्री का क्रय 03 ये 06 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती/धात्री माताओं एवं लक्षित किशोरी बालिकाओं के लिए प्रस्तावित सामग्री प्रदान के संदर्भ में सम्पूर्ण प्रदाय व्यवस्था को पारदर्शी एवं विकेन्द्रीकृत रखा गया है।

बाल संजीवनी अभियान

प्रदेश में कुपोषण से बचाव एवं निदान हेतु वर्ष 2001 से बाल संजीवनी अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष में दो बार चलाए जाने वाले इस अभियान के अब तक 11 चरण हो चुके है। बाल संजीवनी अभियान से प्रदेश में कुपोषण को कम करने में सफलता भी प्राप्त हुई है। कुल कुपोषण का प्रतिशत वर्ष 2001 में 57. 57 से घटकर वर्ष 2008 में आयोजित 12वें बाल संजीवनी अभियान के बाद यह 46.37 रह गया है। चिन्हांकित गंभीर कुपोषित बच्चों की चिकित्सा, दवाइयों आदि के लिए बाल शक्ति योजना चलाई जा रही हैं तथा मुस्कान योजना के अन्तर्गत शिविर आयोजित किये जाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

यह योजना वर्ष 2006 से लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के शैक्षणिक एवं आर्थिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना है साथ ही बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाने तथा बाल विवाह पर अंकुश लगाने हेतु यह योजना

आरम्भ की गई है। योजना 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म के बाद उसके पक्ष में छः हजार रूपये के राष्ट्रीय विकास पत्र पाँच वर्ष तक शासन द्वारा क्रय किये जाते हैं। इस प्रकार यह राशि तीस हजार रूपये होती है। बालिका के कक्षा छठवीं में प्रवेश पर उसे दो हजार रूपये, नवमीं में प्रवेश पर चार हजार रूपये, ग्यारहवीं में प्रवेश पर 7500 रूपये तथा ग्यारहवीं और बाहरवीं की पढ़ाई के समय दो वर्ष तक दो सौ रूपये प्रतिमाह दिये जाते हैं। बालिका के 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एवं 18 वर्ष के पूर्व विवाह न करने तथा बारहवीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। यह राशि एक लाख रूपये होती है।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु माता–पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों तथा आयकर दाता न हों। जिनके माता–पिता ने दो जीवित बच्चों के रहते हुए परिवार नियोजन अपना लिया हो तथा जो आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो उन्हें इसका लाभ मिलता है। जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हों तथा माता/पिता की मृत्यु हो गई हो उस परिवार के लिए परिवार नियोजन की शर्त अनिवार्य नहीं होगी परन्तु माता अथवा पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। जिस परिवार में प्रथम बालक अथवा बालिका है तथा दूसरे प्रसव पर दो जुड़वा बच्ची पैदा होती है तो दोनों जुड़वा बच्चियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। यदि परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो उसे प्रथम बालिका मानते हुए योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 से दिसम्बर 2008 की अवधि तक कुल 89 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

उषा किरण योजना

इस योजना के अंतर्गत पीड़िता को अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान के तहत सभी सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। यदि कोई महिला घरेलू हिंसा यानि ऐसा कोई कार्य या हरकत जो किसी पीड़ित महिला एवं बच्चों (18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन को खतरा/संकट की स्थिति, आर्थिक नुकसान, क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे दुखी व अपमानित होते हों। इसके तहत् शारीरिक हिंसा, मौखिक व भावनात्मक हिंसा, लैंगिक व आर्थिक हिंसा या धमकी देना आदि शामिल हैं से पीड़ित है तो किसी भी वयस्क पुरूष सदस्य के विरूद्ध जिसके साथ महिला या बच्चे का घरेलू रिश्ता है या था के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006, एक दीवानी कानून है। इस कानून में दोशी को सजा दिलाने के बजाय पीड़ित के संरक्षण एवं बचाव की बात कही गई है, न्यायालय का आदेश न मानने पर दोशी व्यक्ति को एक साल की अवधि की सजा या 20 हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। घटना की प्रकृति गंभीर होने पर भारतीय दंडसंहिता या अन्य किसी विधि के अधीन पुलिस कार्यवाही भी कर सकती है। यह कानून घरेलू रिश्तों में रहते हुए भी आपत्तिजनक व्यवहारों को सुधारने का पूरा मौका देता है। इस योजना से महिलाओं में विश्वास की एक नई किरण उत्पन्न हुई है। उषा किरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सेवाएं उपलब्ध कराने से महिला अत्याचारों में कमी आयेगी एवं महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी इसके परिणामस्वरूप उनके आत्म विश्वास में वृद्धि होगी। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ घरों में आदर्श वातावरण का निर्माण होगा जिससे बच्चों की अच्छी परवरिश भी हो सकेगी।

इस योजना में वित्त वर्ष 2009–10 के लिए 2.50 करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान किया गया था जिसमें 2,21,81,000 रूपये संबंधितों के लिए आवंटित किये गये।इस योजनांतर्गत अब तक 3322 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसमें से 1849 प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा 1294 प्रकरणों की सुनवाई की गई एवं कुल 1093 प्रकरण परामर्श एवं न्यायालय से निराकृत कराये जा चुके हैं।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था के 6 माह पूरे होने पर पहली किश्त 1500 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है तथा दूसरी किश्त 1500 रूपये प्रसव के 3 माह बाद (टीकाकरण होने पर) प्रदान की जाती है तथा तीसरी किश्त 1000 रूपये प्रसव के 6 माह बाद प्रदान की जाती है। परिवार के प्रथम दो बच्चों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। यह योजना मध्यप्रदेश के 2 जिले सागर एवं छिंदवाड़ा में संचालित है।

सबला योजना

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी 2011 से आरंभ हुई है। इस योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं को ऐनीमिया से बचाव हेतु पोषण आहार प्रदान किया जाता है। इसमें 11 से 14 वर्ष की ऐसी बालिकाएँ जो शाला नहीं जाती हैं तथा 15 से 18 वर्ष तक की सभी बालिकाओं को 6 दिन का पोषण आहार प्रदान किया जाता है। यह योजना मध्यप्रदेश में सागर सहित 15 जिलों में संचालित है।

निष्कर्ष

किसी भी प्रदेश का सर्वागीण विकास तभी हो सकता है जबकि उसमें रहने वाली महिलाएं एवं बच्चों को समुचित विकास के अवसर उपलब्ध हों।

मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग अपनी अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत है। मध्य प्रदेश में संचालित योजनाएं अपने लक्ष्य हासिल करने में कुछ हद तक सफल हुईं हैं, लेकिन अभी भी गरीब एवं कमजोर महिलाओं व बच्चों की बेहतरी के लिए सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1. घोष शंकर,सामान्य अध्ययन,यूनीक पब्लिकेशन,दिल्ली 2011
2. पाण्डेय पी. एन., ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर 2006
3. वशिष्ट बी. के. एवं सोमदेव, लोक अर्थशास्त्र, इंडस वैली पब्लिकेशन्स जयपुर, 2008
4. थामस जे., मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान, सेठी पब्लिकेशन्स, जयपुर – 2012
5. ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर आगे आयें, लाभ उठायें, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश
6. प्रशासकीय प्रतिवेदन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विभाग, भोपाल
7. प्रशासकीय प्रतिवेदन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल